प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 28.08.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 28.08.2025 को निम्न अभियोग मे सजा करायी गयी है।

1. थाना भरथना

इटावा पुलिस/अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 07 वर्ष 06 माह का कारावास व 5000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भरथना, मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 07 वर्ष 06 माह का कारावास व 5000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.02.2018 को अभियुक्तगणों द्वारा क्षेत्र में एक सुसंगठित गिरोह बनाकर जनता में भय व्याप्त करना अनैतिक धन अर्जित करने के सम्बन्ध में थाना भरथना पर **मु0अ0सं0-80/2018 धारा 03(1)यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार का0 संजय साहू एवं मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्रीमती मंजू शाक्य द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप अभियुक्त को आज दिनांक 28.08.2025 को अन्तर्गत धारा 03(1) यू0पी0 गैगस्टर एक्ट में **मा0 न्याया0 एडीजे-10/ स्पे0जज गैंगस्टर एक्ट, इटावा** द्वारा **07 वर्ष 06 माह के कारावास व 5,000/- रु0** से दण्डित किया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

योगेश दोहरे पुत्र रतन सिंह नि0 खरका की मडैया थाना कोतवाली जनपद औरैया।